

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)

क्रमांक :- 02

दिनांक:-16.01.2025

:: कार्यालय-आदेश ::

राजस्थान सरकार के गृह (गुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 27(क)(40)गृह-2/2024 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 07.10.2024 के द्वारा **चण्डावल**, सर्किल सोजतसिटी, उपखण्ड सोजतसिटी, जिला-पाली को पुलिस चौकी से क्रमोन्नत कर पुलिस थाना घोषित किया गया है एवं जिला पुलिस अधीक्षक, पाली के पत्र क्रमांक अ-21(2) पाली-फोर्स/2025/95 दिनांक 10.01.2025 व कार्यालय आदेश क्रमांक अ.21()पाली-फोर्स/2025/343-442 दिनांक 05.01.2025 के अनुसार क्रमोन्नत नवीन पुलिस थाना **चण्डावल**, जिला-पाली द्वारा दिनांक 05.01.2025 से विधिवत् रूप से कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

मैं, ऋचा चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली (राज.) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली की अनुमति के उपरांत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1), 13(1), 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं सामान्य नियम (दीवानी व दाण्डिक), 2018 के आदेश 35 नियम 2(क) की पालना में एतद्वारा क्रमोन्नत नवीन पुलिस थाना **चण्डावल**, जिला-पाली (राज.) में उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरणों की विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण करने हेतु **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोजत, जिला-पाली** को तत्काल प्रभाव से प्राधिकृत करती हूँ।

नोट:- 01. नव क्रमोन्नत पुलिस थाने में इस आदेश की दिनांक तक यदि कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट/परिवाद/रिमाण्ड संस्थित हुआ है, तो उनसे संबंधित नतीजा उपरोक्तानुसार प्रदत्त क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही पेश किया जायेगा।

02. उपर्युक्त आदेश का प्रभाव किसी विशेष अधिनियम के तहत संस्थित होने वाले प्रकरणों की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता पर नहीं पड़ेगा, जिनके संबंध में पूर्व में पृथक् से आदेश किये गये हैं अथवा विधि में जिनका विशेष प्रावधान है।

(ऋचा चौधरी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)


क्रमांक:-पी.ए./2025/207

दिनांक:- 16.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, पाली।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली/(सा.दं.)पाली/बाली/सोजत/जैतारण/सुमेरपुर/मारवाड़ जंक्शन
3. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, पाली।

4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली/मारवाड जंक्शन/बर/सुमेरपुर/देसूरी/बाली/सोजत/जैतारण/सादडी/रानी।
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1/2, पाली/सोजत/सुमेरपुर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन आई एक्ट केसेज) संख्या 1/2 पाली।
7. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रायपुर।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली एवं ब्यावर को प्रेषित कर लेख है कि पाली न्यायक्षेत्र के समस्त थानाधिकारियों को सूचित करें।
9. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग, पाली
10. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, पाली/अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, सोजतसिटी (मार्फत् ए.सी.जे.एम., सोजत)
11. थानाधिकारी, पुलिस थाना चण्डावल, जिला-पाली।
12. सिस्टम ऑफिसर - जिला न्यायालय, पाली को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. नोटिस बोर्ड सोजतसिटी मुख्यालय (मार्फत् ए.सी.जे.एम., सोजत)।
14. रक्षित पत्रावली।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पाली (राज.)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)